

tion 85 of the Estate Duty Act, 1963. [Placed in Library. See No. LT-2349/64.]

12.30 hrs.

RE. REPLY TO MOTION ON ADDRESS BY VICE-PRESIDENT DISCHARGING THE FUNCTIONS OF PRESIDENT.

12.29 hrs.

ESTIMATES COMMITTEE

FORTY-FOURTH AND FORTY-FIFTH REPORT:

Shri A. C. Guha (Barasat): Sir, I beg to present the following reports of the Estimates Committee on the Ministry of Railways:—

- (1) Forty-fourth Report on Chittaranjan Locomotive Works.
- (2) Forty-fifth Report on Integral Coach Factory.

12.29½ hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Dr. D. S. Raju): Sir, on behalf of Dr. Sushila Nayar, I beg to move:

“That in pursuance of section 4(g) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from among themselves to serve as a member of the All India Institute of Medical Sciences, subject to the other provisions of the said Act, vice Dr. P. D. Gaitonde ceased to be a member of Lok Sabha.”

Mr. Speaker: The question is:

“That in pursuance of section 4(g) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from among themselves to serve as a member of the All India Institute of Medical Sciences, subject to the other provisions of the said Act, vice Dr. P. D. Gaitonde ceased to be a member of Lok Sabha.”

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि कल उपाध्यक्ष ने जो निर्णय दिया, उसमें आप सुधार करें। कल जो मैंने सवाल उठाया था, वह संविधान और उस की धाराओं को ले कर

अध्यक्ष महोदय: मुझे आप को सुनने में बिल्कुल कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप ने पहली ही बात यह कही है कि मैं उपाध्यक्ष के फैसले में सुधार करूँ। बेहतर हो, अगर आप मुझे पहले यह बता सकें कि क्या मुझे सुधार करने की ताकत है।

डा० राम मनोहर लोहिया: अगर मैं यह साबित कर दूँ कि वह निर्णय गलत है, तो फिर आप उसमें सुधार करें। किस तरह करें, यह मैं कैसे आप को सलाह दे सकता हूँ ?

अध्यक्ष महोदय: फ़र्ज कर लें कि आप यह साबित कर दें कि वह निर्णय गलत है, फिर भी अगर संविधान, हमारे रूज या किसी ला के मातहत मझे उसमें सुधार करने की आज्ञा है, तो इस बहस को उठाने का फ़ायदा होगा। अगर मझे कोई ताकत है नहीं, तो फिर किस तरह इस बात को उठाने से फ़ायदा पहुंच सकता है ?

डा० राम मनोहर लोहिया: इस सदन को ताकत है आप के ज़रिये।

अध्यक्ष महोदय: अगर आप बता दें कि इस सदन को ही ताकत है, तो मैं यह मामला सदन के सामने रखने के लिए तैयार हूँ।